न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः – 30/2024
GCMS No. – 2024/68

1. शम्भुलाल पिता चेना जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी जालमपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ
2. केशूराम पिता चेना जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी जालमपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ
3. कान्तिलाल पिता चेना जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी जालमपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ
4. पन्नालाल पिता चेना जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी जालमपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ
5. बद्रीलाल पिता चेना जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी जालमपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती सोसरबाई पत्नि पेमा जी जाति नायक – लाऔलाद मृत (वसीयती वारिस)

1/1 श्रीमती गीताबाई पत्नि भैरूलाल जाति नायक आयु वयस्क निवासी रतना का खेडा तहसील राशमी हाल केली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

—— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थित :– 1– श्री जगदीशचन्द्र मेनारिया – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1/1

:: निर्णय :: दिनांक :– 06.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि के मौजा केली पटवार हल्का केली आराजी नम्बर 1433 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा , आराजी नम्बर 1436 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा एवं आराजी नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:42:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

[illegible]

2417 रकबा 1.45 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 2418 रकबा 1.56 हैक्टेयर भूमि कुल किता 2 रकबा 3.01 हैक्टेयर भूमि स्थित है।

2. वादग्रस्त आराजियात मौजा केली तहसील निम्बाहेड़ा का नवीन भू प्रबन्ध भू प्रबन्ध अधिकारियो द्वारा सम्पन्न किया गया भू प्रबन्ध के पश्चात नवीन भू प्रबन्ध में निम्न कृषि आराजीयात मृतक पेमा पिता नारायण जो कि प्रार्थीगण के मामा स्वर्गीय नारायण का लड़का का था एवं प्रार्थीगण की माता श्रीमती प्यारीबाई भी नारायण की पुत्री थी फिर भी भू प्रबन्ध के पूर्व जरिये विरासत पेमा पिता नारायण ने सम्पूर्ण कृषि आराजीयात अपने नाम पर दर्ज करवा ली जिससे भू प्रबन्ध के पश्चात उक्त कृषि आराजीयात अकेले पेमा पिता नारायण के नाम दर्ज हो गयी व पेमा का दिनांक 12–10–2011 को स्वर्गवास हो जाने से उक्त विवादित आराजीयात जरिये विरासतीय नामान्तरकरण पेमा की नातायत पत्नि सोसरबाई के नाम पर अंकित हो गयी सोसर बाई की भी दिनांक 31–5–2019 को मृत्यु हो चुकी है।

3. विवादित कृषि आराजीयात प्रार्थीगण की माता श्रीमती प्यारीबाई व विपक्षीया मृतक सोसरबाई के पति पेमा की पैतृक कृषि आराजीयात होकर प्रार्थीगण स्वर्गीय प्यारीबाई के वैधानिक उत्तराधिकारी है, व प्यारीबाई का उक्त कृषि आराजीयात में जरिये विरासत 1/2 हक व हिस्सा निहित रहा है, उसी अनुसार प्रार्थीगण की माता मृतक प्यारीबाई व विपक्षी मृतक सोसरबाई के पति पेमा का 1/2–1/2 हक व हिस्सा निहित रहा उसी अनुसार प्रार्थीगण की माता प्यारीबाई व पेमा उक्त सम्पूर्ण कृषि आराजीयात पर संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे। फिर भी विवादित कृषि आराजीयात जरिये विरासत सोसर बाई के पति व प्यारीबाई के भाई पेमा के नाम दर्ज हो गयी व पेमा का स्वर्गवास हो जाने से सम्पूर्ण कृषि आराजीयात मृतक सोसरबाई के नाम जरिये विरासत दर्ज कर दी गयी व मृतक पेमा व सोसरबाई लाऔलाद थे इससे पूर्व सोसरबाई का विवाह रतना का खेड़ा में हुआ था व अपने विवाहित पति व सोसरबाई का अनबन होकर सोसरबाई केली निवासी पेमा के नाते आ गयी व उसी के साथ रही, परन्तु पेमा के नुत्फे के सोसरबाई के कोई संतान नहीं हुयी। सोसरबाई के रतना का खेड़ा रहते हुए एक पुत्र भैरूलाल हुआ जिसकी पत्नि विपक्षीया गीताबाई है। प्रार्थीगण के हक व अधिकारों को समाप्त करने की नियत से सोसरबाई ने गीताबाई का कोई संबंध सरोकार नहीं रहते हुए दिनांक 15–1–2018 को विपक्षीया गीताबाई के पक्ष में वसीयत नामा निष्पादित [illegible] सोसरबाई स्वयं पेमा की नातायत पत्नि रही है जो पेमा की वैध पत्नि [illegible] नहीं ले सकती थी फिर भी प्रार्थीगण की माता मृतक [illegible] दर्ज नहीं होने का नाजायज फायदा उ[illegible] नाम दर्ज करा गीता बाई के पक्ष मे वसीयत नामा निष्पादित व पंजीकृत क[illegible] दिया जबकि प्रार्थीगण की माता श्रीमती प्यारीबाई का पैतृक सम्पति होने से 1/2 हक व हिस्सा निहित था व उसी अनुसार प्यारीबाई व प्यारीबाई का स्वर्गवास होने के पश्चात प्रार्थीगण जो कि प्यारीबाई के जांयदा पुत्र है उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है व पेमा का स्वर्गवास हो जाने पर सोसरबाई मृतक की सेवा चाकरी करते हुए सम्पूर्ण कृषि आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:42:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

करती चली आ रही थी। स्वर्गीय पेमा व स्व सोसरबाई का अंतिम कियाकर्म भी प्रार्थीगण के द्वारा ही सम्पन्न कराया गया। फिर भी गीता बाई ने सोसरबाई को बहला फुसलाकर वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाते हुए अपने पक्ष में वसीयत नामा निष्पादित व पंजीकृत करवा लिया व उक्त वसीयत नामे के आधार पर सम्पूर्ण कृषि आराजीयात गीता बाई विपक्षीया अपने नाम पर दर्ज कराने पर उतारू है जिसका कि गीताबाई को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण सम्पूर्ण कृषि आराजीयात पेमा, सासरबाई व प्यारीबाई के उत्तराधिकारी होने से व विवादित कृषि आराजीयात पैतृक सम्पति होने से अपने नाम घोषित कराये जाने के अधिकारी है।

4. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1/1 की और से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि:–

I. नारायणजी का एक मात्र पुत्र पेमा है और पेमा की पत्नि सोसर बाई है, प्रार्थीगण की माता मृतक प्यारीबाई स्व० नारायणजी की जाईन्दा पुत्री होना अस्वीकार हैं प्यारीबाई बोरखेडी वाले किशनलाल जी काछी की पुत्री हैं शेष कथन जानकारी के अभाव मे अस्वीकार हैं। प्रार्थीगण की माता स्व०प्यारीबाई व पेमाजी दोनो सगे भाई बहन होना अस्वीकार है तथा प्यारीबाई नारायण पिता सोला जी नायक निवासी केली की पुत्री होना अस्वीकार है, प्यारीबाई बोरखेडी वाले किशनलाल जी काछी की पुत्री हैं तथा उक्त चरण में वर्णित आराजी नम्बर व रकबा सही अंकित किया है शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है उक्त वर्णित आराजी विपक्षी नं० 1 की खातेदारी व कब्जे की चली आ रही हैं। वादग्रस्त आराजीयात पेमा पिता नारायणजी की खातेदारी व कब्जे की थी तथा प्रार्थीगण के नाना नारायणजी होना अस्वीकार है तथा नारायणजी की जाईन्दा पुत्री स्व० प्यारीबाई होना अस्वीकार है, प्यारीबाई बोरखेडी वाले किशनलाल जी काछी की जाईन्दा पुत्री हैं जो किशनलालजी व झमकुबाई के संसर्ग से पैदा हुई है, तथा प्यारीबाई का नारायणजी की सम्पत्ति को कोई ताल्लुक सरोकार सम्बध नही है राजस्व कर्मचारियों द्वारा पूरी तरह जांच कर नारायणजी के एक मात्र पुत्र पेमाजी के नाम उक्त सम्पत्ति सही रुप से दर्ज की थी, तथा पेमाजी के देहान्त के बाद उक्त सम्पत्ति जरिये विरासत उनकी पत्नि सोसर बाई के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हुई थी और वादग्रस्त भूमि पर नारायणजी के देहान्त के बाद उनके पुत्र पेमाजी के खातेदारी व कब्जे मे चली आ रही थी और पेमाजी के देहान्त के बाद उक्त भूमि जरिये विरासत सोसर बाई के खातेदारी मे चली आ रही हैं। सोसर बाई का देहान्त हो गया है और सोसरबाई की सेवा चाकरी उनके जीवन काल में [illegible] 1/1 [illegible] व उनके पति भेरुलालजी द्वारा उनके साथ रहकर सोसरबाई की [illegible] की गई थी और गीताबाई की सेवा चाकरी से [illegible] जीवन काल में रुबरु गवाहन रजिस्टर्ड वसी[illegible] 2018 से विपक्षी नं० 1/1 गीताबाई को अपनी इच्छा अनुसार प्रथम व अंतिम [illegible] से दी थी। और उक्त सम्पत्ति पर सोसरबाई के जीवन काल से ही गीताबाई व उनके पति भेरुलाल का कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:42:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

चला आ रहा था और सोसर बाई का देहान्त दिनांक 31/05/2019 को हो गई है और उक्त रजिस्टर्ड वसीयत की रुह से तहसीलदार निमबाहेडा द्वारा प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं0 1/1 गीताबाई को सुनकर धारा 135 (2) राज०लै०रे० एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर प्र०स० 05/2022 कायम कर वादग्रस्त भूमि की मौका जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का से मंगवा कर वसीयत नामे की पुरी जांच कर दिनांक 22/03/2024 को विपक्षी नं0 1/1 के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत को सही होना मान कर स्व० सोसरबाई की वादग्रस्त भूमि को विपक्षी नं0 1/1 गीताबाई के नाम खातेदारी मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया गया और उक्त निर्णय व आदेश दिनांक 22/03/2024 से उक्त भूमि विपक्षी नं0 1/1 गीताबाई के खतोदारी व कब्जे मे चली आ रही हैं।

II. विवादित कृषि आराजीयात मे प्रार्थीगण की माता प्यारीबाई का कोई हक हिस्सा नही है तथा प्यारीबाई स्व० नारायणजी की पुत्री नही है तथा प्यारीबाई का उक्त सम्पत्ति मे कोई 1/2 हक हिस्सा निहित नही हैं। वादग्रस्त सम्पत्ति स्व० नारायणजी के देहान्त के बाद पेमाजी के नाम पर दर्ज हुई थी और उक्त सम्पूर्ण भूमि पेमाजी के खातेदारी मे चली आ रही थी और पेमाजी के देहान्त के बाद उक्त भूमि सोसरबाई के नाम दर्ज जरिये विरासत उनकी पत्नि होने से दर्ज हुई, तथा सोसरबाई के साथ विपक्षी नं0 1/1 का पति भेरुलाल बचपन से ही सोसरबाई व पेमाजी के साथ निवास करता चला आ रहा था और भेरुलाल को सोसरबाई व पेमाजी द्वारा पढ़ा–लिखा कर बडा कर उसकी शादी गीताबाई विपक्षी नं0 1/1 के साथ करवाई थी, और भेरुलाल व गीताबाई द्वारा पेमाजी व सोसरबाई की पुत्र व पुत्रवधु की भाति सेवा सुषमा व भरण पोषण इलाज इत्यादि किया गया था तथा पेमाजी के देहान्त बाद जरिये विरासत पेमाजी कीपत्नि सोर बाई के नाम दर्ज हुई तथा सोसरबाई की सेवा चाकरी उनके जीवन काल में विपक्षी नं0 1/1 गीताबाई व उनके पति भेरुलालजी द्वारा उनके साथ रहकर सोसरबाई की सेवा चाकरी की गई थी और गीताबाई की सेवा चाकरी से खुश होकर सोसर बाई द्वारा अपने जीवन काल में रुबरु गवाहन रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 15/01/2018 से विपक्षी नं0 1/1 गीताबाई को अपनी इच्छा अनुसार प्रथम व अंतिम वसीयत से दी थी। और उक्त सम्पत्ति पर सोसरबाई के जीवन काल से ही गीताबाई व उनके पति भेरुलाल का कब्जा चला आ रहा था और सोसर बाई का देहान्त दिनांक 31/05/2019 को हो गई है और उक्त रजिस्टर्ड वसीयत की रुह से तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा प्रार्थीगण एवं विपक्षी नं0 1/1 गीताबाई को सुनकर धारा 135 (2) राज०लै०रे० एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर प्र०स० 05/2022 कायम कर वादग्रस्त भूमि की मौका जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का से मंगवा कर वसीयत नामे की पुरी जांच कर दिनांक 22/03/2024 को विपक्षी नं0 1/1 के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत को सही होना मान कर स्व० सोसरबाई की वादग्रस्त भूमि को विपक्षी नं0 1/1 गीताबाई के नाम खातेदारी मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया गया और उक्त निर्णय व आदेश दिनांक 22/03/2024 से उक्त भूमि विपक्षी नं0 1/1 गीताबाई के खातेदारी व कब्जे मे चली आ रही हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Rancholi
Date: 2024.10.10 15:42:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

III. वादग्रस्त सम्पत्ति से प्रार्थीगण की माता प्यारीवाई का कोई ताल्लुक सरोकर संबंध नही है प्यारीबाई स्व० नारायणजी की जाईन्दा पुत्री नही है, प्यारीवाई बोरखेडी वाले किशनलाल जी काछी की जाईन्दा पुत्री हैं जो किशनलालजी व झमकुबाई के संसर्ग से पैदा हुई है, तथा किशना जी ने ही प्यारीवाई को बडा किया है ती प्यारीबाई की शादी किशनाजी द्वारा ग्राम वडोली घाटा मे कराई गई थी तथा बाद मे किशनाजी द्वारा प्यारीबाई को चेनाजी के यहां जालमपुरा नाता विवाह कर विदा किया था, तथा प्यारीबाई का उक्त सम्पत्ति मे कोई 1/2 हिस्सा उक्त सम्पत्ति मे किसी हैसियत से नही रहा हैं, तथा प्रार्थीगण का कोई कब्जा वादग्रस्त सम्पत्ति पर कभी नही रहा है तथा सोसरबाई की सेवा चाकरी प्रार्थीगण द्वारा कभी भी नही की गई है तथा स्व० सोसरवाई द्वारा अंतिम क्रियाकर्म प्रार्थीगण द्वारा सम्पन्न नही किया गया हैं। स्व० पेमाजी व स्व० सोसरबाई के समस्त धार्मिक एवं सामाजिक क्रियाकर्म एक पुत्र की भांति विपक्षी नं0 1/1 गीताबाई के पति भेरुलाल द्वारा करवाये गये हैं तथा सोसरबाई का भामाषाह कार्ड, पेमाजी एवं सोसरबाई के देहान्त के बाद सामाजिक शोक पत्रिका में भेरुलाल का नाम पुत्र के रुप में अंकित है, तथा भेरुलाल के आधार कार्ड में पिता के स्थान पर पेमाजी का नाम अंकित हैं तथा विद्युत बिल मे भेरुलाल के पिता का नाम पेमाजी अंकित है और इस प्रकार समस्त सरकारी रेकार्ड व दस्तावेजो मे भेरुलाल के पिता का नाम पेमाजी अंकित होकर पेमाजी का वारिस भेरुलाल हैं। प्रार्थीगण चेनाजी के पुत्र होकर चेना जी की सम्पत्ति पर ग्राम जालमपुरा तह० व जिला चित्तौडगढ में काबिज चले आ रहे हैं, तथा वादग्रस्त सम्पत्ति पर कोई कब्जा किसी हैसियत से कभी नही रहा हैं। वादग्रस्त सम्पत्ति दोनो पक्षो को सुनकर तहसीलदारनिम्बाहेडा द्वारा विपक्षी नं0 1/1 के खातेदारी मे दर्ज करने का आदेश दिया गया है जिसकी सारी जानकारी प्रार्थीगणो को शुरु से चली आ रही है और तथ्यों को छुपाकर यह झुठा दावा प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी नं0 1/1 के विरुद्ध पेश किया गया हैं जो चलने योग्य नही हैं खारीज होने योग्य हैं। प्रार्थीगण किसी प्रकार की घौषणा वादग्रस्त सम्पतित बाबत कराने के अधिकारी नही हैं। इस प्रकार चरण संख्या 5 सम्पूर्ण रुप से अस्वीकार हैं।

IV. वादग्रस्त सम्पत्ति पर पेमाजी व सोसरबाई के जीवन काल से ही विपक्षी नं० 1 व उसके पति भेरुलाल का शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा है और उक्त भूमि विपक्षी नं० 1 के खातेदारी व कब्जे मे चली आ रही है प्रार्थीगण का कोई कबजा वादग्रस्त सम्पत्ति पर किसी हैसियत से नही रहा हैं इसालिए प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्ट्या प्रकरण नही [illegible]स्त सम्पत्ति विपक्षी नं० 1 के खातेदारी व कब्जे की [illegible] का पूर्ण अधिकार विपक्षी नं0 1/1 को प्राप्त है इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी नही हैं। चरण संख्या 6 सम्पूर्ण रुप से अस्वीकार हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:42:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Scanned by CamScanner

V. प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नही है मौके पर विपक्षी नं0 1/2 का शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा चला आ रहा है इसलिए सुविधा का संतुलन विपक्षी नं0 1/1 के पक्ष मे है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की सुरत मे अपूर्णिय क्षति विपक्षी नं0 1/1 को होने की पूर्ण संभावना हैं। इसलिए चरण संख्या 7 सम्पूर्ण रुप से अस्वीकार हैं।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया तथा विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड दान पत्र के माध्यम से विपक्षी नम्बर 1 व 2 की खातेदारी व कब्जे में चली आ रही है। इसलिए रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 06.10.2023 को सिविल न्यायालय से निरस्त कराये बगैर यह वाद व प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में चलने योग्य नहीं है एवं प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा, खर्चा सहित खारिज करने का निवेदन किया गया।

उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>– हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पुश्तैनी प्रार्थीगण की आराजियात होकर सोलाजी के समय की होकार प्रार्थीगण की माता पुश्तेनी आराजियात है जो प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से साबित होता है। तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सजरे अनुसार पुश्तैनी आराजियात होने से उक्त आराजियात में प्रार्थीगण का हक हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत हिस्सा निहित होता है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

II. <u>अपूरणीय क्षति</u>– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त प्रार्थीगण को विवादित आराजी को सुरक्षित रखने का अधिकार है। क्योंकि उक्त विवादित आराजियात पर विपक्षीगण द्वारा किसी अन्य को हस्तांतरित की गई तो विवाद बढेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण बनने वाले हिस्से को सुरक्षित किया [illegible] अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में हैं

III. <u>सुविधा का संतुलन</u> :– कि[illegible] प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर [illegible] का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम [illegible]या मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:42:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पक्षकारन की पुश्तैनी पैतृक आराजियात है जिसमे प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित हैं। प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए हैं। इसलिए विवेचन के आधार पर पक्षकारान के मध्य व्यर्थ की मुकदमेबाजी को रोकने के लिए विपक्षीगणों को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषधाज्ञा से पावन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा केली पटवार हल्का केली के आराजी नम्बर 2417 रकबा 1.4500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2418 रकबा 1.5600 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.0100 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रिकार्ड की यथास्थित बनाए रखे एवं किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करे न करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचौली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:42:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner